देश के विकास में अपना योगदान दें युवा : अनुराग सिंह ठाकुर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को पाली के रोहट स्थित निंबली गांव में भारत स्काउट्स और गाइड्स के18वें राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह को संबोधित किया। ठाकुर ने युवाओं को आव्हान किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने देशभर से आए स्काउट और गाइड को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें आगे बढ़कर कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हो रहे जंबूरी कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाकर स्काउट और गाइड अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्काउट और गाइड की तरह देश के हर नागरिक में टीम इंडिया की भावना की जरूरत है। अगले 25 साल तक भारत के हर नागरिक को पूरी मेहनत के साथ देश को पूरी दुनिया में लीडर बनाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्काउट और गाइड को फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ने और रोज आधा घंटा व्यायाम करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न राज्यों के स्काउट- गाइड की परेड का निरीक्षण भी किया। इससे ठाकुर ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर सांसद खेल महाकुंभ और खेलो इंडिया योजना में स्वीकृत मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। ठाकुर ने कहा कि देश में वर्ष 2014 तक खेलों का बजट 800 करोड़ रुपए होता था, जिसे मोदी सरकार ने कई गुणा बढ़ा दिया है। खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से 3 हजार खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी की ट्रेनिंग पर 6 लाख रुपये से ज्यादा रकम खर्च की जायेगी।

ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान के तहत देशभर में 1 हजार केंद्र खोलने की केंद्र सरकार की योजना है। इसमें से 750 केंद्र खोल दिए गए हैं तथा शेष 250 केंद्र इस वर्ष अगस्त तक खोल दिए जाएंगे। वर्ष 2017 से 2021 के बीच मोदी सरकार ने इस अभियान पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का पाली के रोहट स्थित निंबली गांव में भारत स्काउट्स और गाइड्स के राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में गदा भेंटकर स्वागत किया।

- **चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में किया स्टेडियमों का शिलान्यास व लोकार्पण**

ओलंपिक व अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए मोदी सरकार टारगेट पोडियम स्कीम योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने फिट इंडिया अभियान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अभियान के दौरान देशभर में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी और जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके बाद अनुरा ठाकुर ने उदयपुर में महाराणा भूपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही संस्थान द्वारा आयोजित ठा. गुमान सिंह स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ व ट्रॉफियों का अनावरण भी किया। इस अवसर पर सांसद अर्जुन लाल मीणा व संस्थान के अध्यापक व अन्य अधिकारी-जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

'हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध सड़क निर्माण का कार्य कर रही है कोटपूतली नगर परिषद'

शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक जा रही सड़क पर कोटपूतली नगर परिषद की जेसीबी तोड़फोड़ के बाद जमीन को समतल करने का कार्य कर रही हैं।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर। कोटपूतली नगर परिषद ने विवादित तौर पर कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए और बिना नोटिस दिये जिन मकानों व दुकानों को ध्वस्त किया था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। जैसा कि विदित है कि नगर परिषद ने शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक जा रही सड़क के दोनों ओर बने मकानों व दुकानों को 'सड़क चौड़ा' करने के नाम पर ध्वस्त किया था। इनमें से कई मकान मालिकों ने सड़क निर्माण को रोकने के लिये और न्याय नहीं मिलने तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश अपने हक में हाईकोर्ट से प्राप्त कर लिये थे, इसके वाबजूद नगर परिषद ने इस सड़क पर देर रात तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। गौर फरमाने योग्य है कि 9 जनवरी को ही ऐसे कई मामले जिन पर अदालत ने पहले ही यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये थे और कई मामले जिनमें मकान ध्वस्त करने की वजह से मुआवजे की गुहार की गई थी, इन सबको मिलाकर करीबन 30 मामलों पर न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिये सूचीबद्ध हुए थे। इनमें से कई मामले ऐसे भी थे जिनमें नगर पालिका ने ही याचिकाकर्ताओं को आवंटित पट्टे खारिज कर दिये थे और याचिकाकर्ताओं ने नगर परिषद के इस फैसले को भी चुनौती दी थी।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोरा पैरवी के लिये पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि बहस के दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि नगर परिषद ने शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक की सड़क जिसमें नेहरू बाजार भी शामिल है, की चौड़ाई 60 फीट से बढ़ाकर 80 फीट करने के लिये अवैध अतिक्रमण को हटाया है। अर्चित बोरा ने बताया कि सरकार का कहना था कि उनके द्वारा यह कार्रवाई मास्टर प्लान को लागू करने के लिये की गई है। उन्होंने आगे बताया कि जब अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि पुराने मास्टर प्लान में उक्त सड़क कहां वर्णित है और उसकी चौड़ाई क्यों और कब बढ़ाई गई, तब सरकार की ओर से अदालत को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका, जिस पर अदालत ने टिप्पणी की अगर याचिकाकर्ताओं को गलत तरह से भी पट्टे आवंटित किये गये थे तब भी सरकार उनका मकान तोड़ने की कार्रवाई मुआवजा देकर ही कर सकती है। हर्षित ने आगे कहा कि अदालत ने सरकारी वकील से यह भी पूछा कि जिन अफसरों ने याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से पट्टे आवंटित कर दिये थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अदालत ने इन मामलों की अगली सुनवाई 18 जनवरी तय की है जिसमें वह 1945 में खेतड़ी महाराज द्वारा जारी किये गये पट्टों और नक्शों का निरीक्षण व परीक्षण करेगी क्योंकि कई याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें खेतड़ी महाराज द्वारा आवंटित पट्टे जारी हुए हैं।

इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि कोटपूतली नगर परिषद के खिलाफ हरि प्रसाद शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में ही अवमानना याचिका भी दायर की गई है और नगर परिषद को आयुक्त को जवाब तलब भी किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि 25 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध नगर परिषद ने उक्त सड़क पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई करने से पूर्व याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया था। इस मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है। अधिवक्ता अर्चित बोरा का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुए, बड़ी आक्रामक तरीके से और भय का माहौल बनाकर तोड़-फोड़ करने की कार्रवाई को अंजाम देने की वजह से कोटपूतली नगर परिषद के विरूद्ध 100 से भी अधिक मामले हाईकोर्ट में दायर किये गये हैं।

- **नगर परिषद द्वारा की गई तोड़-फोड़ की कार्रवाई के विरूद्ध दायर मामलों में पैरवी कर रहे वकील और याचिकाकर्ता का कहना है कि यथा स्थिति के आदेश के बावजूद नगर परिषद सड़क निर्माण कर रही है**
- **जैसा कि विदित है कि शनि मंदिर से सरदार स्कूल तक जा रही सड़क पर कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में 100 से अधिक मामले दर्ज किये जा चुके हैं, जिनमें से कई पर यथा स्थिति रखने के आदेश भी पारित किये गये हैं।**

'बिल्डिंग को ध्वस्त करना स्वागत योग्य'

जयपुर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मांग की थी कि रामकृपाल की बिल्डिंग की तरह इन आरोपियों की सम्पत्ति को ध्वस्त किया जाए। जेडीए की अधिगम कोचिंग की बिल्डिंग पर कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की नामी/ बेनामी संपत्तियों की जांच कर उन्हें जब्त/ध्वस्त क्यों नहीं कर रही? उन्होंने कहा कि सरकार को अधिगम कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों की 70-70 हजार रुपए की फीस लौटाने के लिए सुरेश ढाका की संपत्ति नीलाम करनी चाहिए।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जन आक्रोश सभाओं को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला : अरूण सिंह

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के आमजन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, भाजपा की ऐतिहासिक जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से खुलकर सामने आया है, भाजपा की यह जन आक्रोश यात्रा प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक जीत का 2023 में अध्याय लिखेगी, जो युगों-युगों तक याद रखी जाएगी।

अरूण सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा जन आक्रोश यात्रा 1 लाख 15 हजार किलोमीटर चली जो कि देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है, आमजन को 92 लाख पत्रक भी बांटे गए, साथ ही 200 विधानसभाओं में 200 रथों के माध्यम से यात्रा निकलना भी ऐतिहासिक रहा है।

जन आक्रोश यात्रा राजस्थान की सभी पंचायतों और गांव गांव तक पहुंची है और 62 हजार से अधिक नुक्कड़ सभाएं और चौपालें हुई। राजस्थान के 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों से सम्पर्क हुआ है, जिसका संदेश प्रदेश के 8 करोड़ लोगों तक पहुंचा है।

अरूण सिंह ने कहा कि विकास विरोधी कांग्रेस सरकार में गहलोत के काले कारनामों का काला चिट्ठा यात्रा के माध्यम से खुलकर सामने आया है। राजस्थान में महिला उत्पीड़न, युवाओं के साथ वादाखिलाफी, किसानों का कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं करना, जिसके चलते आज राजस्थान का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, जनता 2023 में राजस्थान से कांग्रेस सरकार को विदा करेगी, जिसकी स्थिति मोटरसाइकिल की सवारी लायक रहेगी। जन आक्रोश यात्रा से कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विधायक हिल चुके हैं, राजस्थान में जन-जन में और कोने-कोने में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश है।

अरूण सिंह ने कहा कि राजस्थान का किसान कह रहा है जहां राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा राजस्थान में पहुंची, वहां वहां बिजली आई, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी चले गए, उन क्षेत्रों से फिर वापस बिजली भी गुल हो गई है, किसान कांग्रेस शासन से इतना परेशान हो चुका है कि आने वाले 20 वर्षों तक भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। अरूण सिंह ने कहा कि राजस्थान की युवा विरोधी कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड करते हुए लगातार 16 बार पेपर लीक हुये, यह निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में बैठे लोगों की संलिप्तता है, अशोक गहलोत बड़े मगरमच्छों को लगातार बचाने में जुटे हैं। राजस्थान का युवा अब संकल्प ले चुका है कि 2023 के विधासभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में तीन चौथाई बहुमत की भाजपा सरकार राजस्थान में बनेगी।

- **'गहलोत ने युवाओं के भविष्य पर चलाया हथौड़ा, कांग्रेस की 2023 में विदाई तय, प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी'**

प्रदेश में केवल 2 ही नए करोना संक्रमित मिले

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में सोमवार को केवल दो ही नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दस मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 60 रह गए हैं। इस बीच राज्य में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में सोमवार को जयपुर और उदयपुर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इससे पहले रविवार को राज्य में 5 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में एक नया संक्रमित मालवीय नगर में सामने आया है। वहीं जिले में 9 मरीज ठीक हुए हैं। उधर प्रदेश में आज 1104 सैम्पल की जांच की गई है।

राज्य में सोमवार को भी नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान 10 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 60 रह गए हैं। इनमें से 54 मरीज जयपुर में बचे है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक- 13671 **जाहिर आम सूचना** दि. 06.01.2023
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 65/594 (HIG), (एरिया 189.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री तारा बाबू सोनी पुत्र स्व. श्री देवी लाल सोनी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2793 दिनांक 23.03.2005 को जारी किया गया। श्री तारा बाबू सोनी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 09.01.2008 को उप पंजीयक जयपुर- चतुर्थ, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री तारा बाबू सोनी की मृत्यु दिनांक 24.04.2018 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती उषा सोनी पत्नी स्व. डॉ. ताराबाबू सोनी द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती उषा सोनी पत्नी स्व. डॉ. ताराबाबू सोनी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय**
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

आम सूचना सर्व साधारण का सुचित किया जाता है कि म.नं. 2628/8 मोहल्ला नमदगरान, रास्ता नमदगरान, चौकडी रामचन्द्र जी जयपुर, का पोल, चौक, रविशा, तहारत, जहुर अहमद, सईद अहमद पुत्रान कल्लू बादशाह तथा श्री रियाज पुत्र इसरार-उल-हक तथा अब्दुल हक उर्फ बाबू पुत्र स्व. फजले हक का मुश्तर्का है। अब्दुल हक उर्फ बाबू से उसका हिस्सा जहुर अहमद, सईद अहमद, रियाज, खरीदने को तैयार है। इनका हक-शफा है। अन्य नहीं खरीदे। अन्यथा स्वयम् जिम्मेदार होगा।
जयपुर (फैज़ान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक मो.882451512

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- **2-झ-15** नाहरी का नाका, जयपुर क्षेत्रफल 110.00 वर्ग गज का आंवटन श्री सत्येन्द सिंह चौधरी पुत्र श्री बलवन्त सिंह चौधरी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5607 दिनांक 31.08.1976 जारी किया गया उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-नगर में दिनांक 13.05.1988 को करवाया गया। श्री सत्येन्द सिंह चौधरी पुत्र श्री बलवन्त सिंह चौधरी के द्वारा उक्त आवास का मुख्यारनामा आम श्री नन्दलाल पुत्र श्री कीमत मल को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्यारनामा आम दिनांक 17.03.1989 को कार्यालय उप पंजीयक जयपुर नगर में निष्पादित करवाया गया। तत्पश्चात मुख्यारनामा आम धारक श्री नन्दलाल पुत्र श्री कीमत मल के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व. श्री दौलत राम को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय में दिनांक 31.03.1994 को करवाया गया। श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व. श्री दौलत राम की मृत्यु दिनांक 14.01.2006 को हो गयी। मृतक श्रीमती निर्मला देवी के कुल सात वारिसों में से पांच वारिसों (1) श्रीमती जयवन्ती पत्नी श्री भगवान दास पुत्री स्व. श्री दौलत राम (2) श्रीमती विष्णी उर्फ नेहा पत्नी श्री सुनील काका पुत्री स्व. श्री दौलत राम, (3) श्रीमती कमली पत्नी श्री महादेव पुत्री स्व. श्री दौलत राम (4) श्रीमती ज्योति पत्नी श्री भानू कुमार पुत्री स्व. श्री दौलत राम (5) श्रीमती पायल पत्नी श्री विजय कुमार पुत्री स्व. श्री दौलत राम के द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग पत्र अपने भाई श्री गोविन्द राम पुत्र स्व. श्री दौलत राम के पक्ष निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 12.12.2006 को निष्पादित करवाया गया। तत्पश्चात श्री गोविन्द राम पुत्र स्व. श्री दौलत राम एवं श्री जेठानन्द पुत्र स्व. दौलत राम के द्वारा कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 18.12.2006 को उक्त आवास का मुख्यारनामा आम श्री महराजुद्दीन कुरेशी पुत्र मो. नजर अहमद को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात श्री मुख्यारनामा आम श्री महराजुद्दीन कुरेशी पुत्र मो. नजर अहमद के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री हाजी बाबुदीन कुरेशी पुत्र श्री नाजर अली को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 03.07.2007 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री हाजी बाबुदीन कुरेशी पुत्र श्री नाजर अली के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री गुलाम नबी पुत्र स्व. श्री हाजी अब्दुल समद खान को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर पंचम में दिनांक 07.07.2011 को करवाया गया। श्री गुलाम नबी पुत्र स्व. श्री हाजी अब्दुल समद खान के द्वारा मंण्डल अभिलेख में उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- **श्री गुलाम नबी पुत्र स्व. श्री हाजी अब्दुल समद खान** के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत्त तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- **14/H/253** इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 128.000 वर्ग मीटर का आवंटन श्री आर.एन.गुप्ता पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन कम कब्जा पत्र कमांक 627 दिनांक 20.04.2011 जारी किया गया। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-अष्टम में दिनांक 05.03.2013 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री आर.एन.गुप्ता पुत्र स्व. श्री नारायण प्रसाद गुप्ता के कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 05.03.2013 को उक्त आवास का मुख्यारनामा आम श्री वेदपाल पुत्र श्री हरफूल को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात मुख्यारनामा आम श्री वेदपाल पुत्र श्री हरफूल के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्री पुनीत गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर प्रथम में दिनांक 23.03.2013 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री पुनीत गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र के श्रीमती केशो देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश मीना को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर चतुर्थ में दिनांक 01.11.2022 को करवाया गया। श्रीमती केशो देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश मीना के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- **श्रीमती केशो देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश मीना** के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लाट नं. 186 मूर्तिकला उद्योग नगर का मूल कब्जा पत्र व मांग पत्र वसुंधरा कॉलोनी में गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें राजकुमार शर्मा। मो.9869637150

मेरे विनोद बाला कत्याल पत्नी श्री प्राण नाथ कत्याल निवासी 298, विनोबा विहार, मॉडल टाउन की मूल रसीद नम्बर-7374 जो समिति द्वारा 30.11.1980 को जारी की गयी है, मेरे से कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। मो.नं. 9950664849

रिजर्व बैंक हाउसिंह कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी की आवासीय योजना- आशिष विहार, जगतपुरा, जयपुर का जविप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा, मूल रसीद व मूल साईट प्लान, व पट्टे के साथ संलग्न समस्त मूल स्टाम्पस् आदि कहीं गुम हो गए है। मिलने पर कृपया सूचित करें। अशोक कुमार मट्टू - मोबाईल नम्बर 9868868659

आवास संख्या 118/185 मानसरोवर जयपुर का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। प्रमोद कुमार मो. 9950205185

नाम परिवर्तन

मैं कचरे वर्षाराणी महेश पत्नी हवलदार कचरे महेश पांडूरंग आर्मी नम्बर 1692129P निवासी किंदरवाडी पोस्ट पेड, तहसील तासगांव, जि. सांगली, महाराष्ट्र 416312 मैंने अपना नाम वर्षाराणी से बदलकर कचरे वर्षाराणी महेश रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जावें। Vide Affidavit 2253190111268500429501 Dated 06.01.2023

I Gouri Shankar Kaimya S/o Kishan Lal Agarwal residing at 2392 Khajane Walaon Ka Rasta, Triveni Bhagwan Jaipur 302001 (Raj.) Chandpole Bazar. Do hereby solemnly affirm and state that have changed my name from G.S. Agarwal, Gori Shanker to Gouri Shankar Kishan in future I will be known and called by m changed name.

After marriage I changed my name form Sharma Laxmi Dindayal to Laxmi Dubey. In future known me Laxmi Dubey W/o Deepak Dubey R/o D-236, Prem Nagar, Krishana Marg, Jhotwara, Jaipur, Raj.

I Have Changed my Name From Mala Jatav To Mala Nikochia W/o Suresh Chand For All Purpose R/o Near Govt. School Ronpur Alwar, Raj.

I Have Changed my Name From Zahina Surendra Dhabai To Zahina Dhabai For All Purpose R/o 43, Gulab Vihar Colon Near Friends Colony Panchyawala Jaipur, Raj.

I Have Changed my Name From Surinder Dhabai To Surendra Dhabai For All Purpse R/o 43, Gulab Vihar Colony Near Friends Colony Panchyawala Jaipur, Raj.

I Banshidhar Khedar S/o Chhotu Lal Khedar R/o Ward No 14, Ratanpura, Sikar, Rajasthan-332712 have changed my name to Bhavin Kheda